

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।)

क्रमांक:- ओ0एस0डी0/नविवि/08/

दिनांक :-

254 88

—: अवार्ड :—

विषय :- राजस्थान आवासन मण्डल हेतु अवाप्ताधीन भूमि ग्राम इटावा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा में कुल अवाप्ताधीन 10.12 है0 में से सड़क हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की गयी। 1.23 हैक्टेयर को छोड़कर, शेष मण्डल हेतु अवाप्त रकबा 8.89 है. का ड्राफ्ट अवार्ड।

सन्दर्भ :- अधिसूचना क्रमांक पं. 7(25) न.वि.वि./III/04 दिनांक 29.06.05।

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम इटावा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.06.05 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया। उक्त अधिसूचना का 05.07.05 को राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन कराया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस 18.01.06 को संबंधित को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामिल करवाये गये जिनकी तामिली की अंतिम दिनांक 08.02.06 अंकित की गयी है। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समचार पत्रों में यथा "दैनिक भास्कर" व "दैनिक नवज्योति" में दिनांक 11.10.05 को प्रकाशन करवाया गया। इस प्रकार 4(1) की अंतिम दिनांक 08.02.06 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में तत्कालीन विशेषाधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण दिनांक 22.04.06 को आवासीय अभियन्ता हल्का पटवारी के साथ किया गया जिसमें धारा 4 (1) के समय प्राप्त सभी आपत्तियों को निरस्त कर मौका रिपोर्ट में कुल 1.23 हैक्टेयर रकबा बाईपास सड़क में पाये जाने से 8.89 हैक्टेयर को ही अवाप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। इसी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 04.11.06 को जारी 8.89 हैक्टेयर रकबे की जारी की गयी। जिसका राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में 14.11.06 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों में "दैनिक नवज्योति" व "राजस्थान पत्रिका" कोटा संस्करण में दिनांक 24.01.07 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 02.02.07 को जारी कर आवासीय अभियन्ता के द्वारा तामिल करवाये गये। आवासीय अभियन्ता द्वारा धारा 6(1) के पब्लिक नोटिसों की तामिली की सूचना 10.03.07 को भिजवायी गयी। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के नोटिस व धारा 9(3) के नोटिस दिनांक 22.03.07 को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामिल करवाये गये। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में किसी भी काश्तकार द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया।

(हस्ताक्षर)

निरन्तर.....2

धारा 6 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में खसरा नं. 1201 के खातेदार गोबरिया पुत्र माधो जाति धाकड़ रहन मुक्तानामा क्रमांक 532 रहन एस.बी.बी.जे. शाखा ईटावा का नाम एवं इसी प्रकार खसरा नं. 1206 में खातेदार पुरुषोत्तम पुत्र कुंज बिहारी, जाति ब्राह्मण निवासी का नाम अंकित है। किन्तु राजस्व जमाबंदी वर्ष 2062-2065 में खसरा नं. 1201 पर संतोष पारिता पत्नी श्री शिवलाल कलाल एवं खसरा नं. 1206 रकबा 1.31 है। में से 0.015 है। पर श्री रघुराज सिंह पुत्र सुल्तान सिंह राजपूत नि. आपल्दा का नाम दर्ज हो चुका है। इस संबंध में इन खसरा नम्बरों के नवीन खातेदारों ने पूर्व में यह आक्षेप भी प्रस्तुत किया था कि राजस्व अभिलेख के आधार पर उनका नाम प्रश्नगत खसरा नं. के खातेदार/हितधारी के रूप में अंकित किया जावे। राजस्व अभिलेख (जमाबंदी 2062-2065) को देखने से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बरों पर नवीन खातेदारों के नाम का अंकन धारा 6 की अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही हो चुका था। ऐसी स्थिति में मूल खातेदार का हित राजस्व अभिलेख में अंकितानुसार रकबे पर नहीं रहा जाता है। अतः यह न्यायोचित है कि इन नम्बरों पर नवीन खातेदारों के नामों को अवाप्ति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावे। उक्तानुसार यह निर्णय लिया गया कि खसरा नं. 1201 पर संतोष पारिता पत्नी शिवलाल कलाल का नाम एवं खसरा नं. 1206 में 0.015 है। भूमि पर रघुराज सिंह पुत्र सुल्तान सिंह राजपूत का नाम अंकित किया जावे। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में धारा 6 के अधिसूचित भूमि का विवरण निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

भूमि का विवरण

खसरा सूची इटावा, जिला कोटा का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	ख.नं.	रकबा(है.)	सड़क हेतु सार्वजनिक निर्माण वि. द्वारा अवाप्त रकबा	शेष मण्डल हेतु अवाप्त रकबा	भूमि का वर्गीकरण	इन्द्राज
	2	3	4	5	6	7
1.	1191	1.45	0-27	1-18 है.	माल प्रथम	गोवरिया पुत्र माधो, जाति धाकड़, निवासी इटावा
	1201	0.85	0-07	0-78 है.	बारानी तृतीय	संतोष पारिता पत्नी श्री शिवलाल कलाल ना.सं.1091
2.	1205	0.70	—	0-70 है.	बारानी तृतीय	बजरंगा, शंकर, रामचन्द्र पुत्र ओंकार, जाति खटीक, निवासी इटावा, हि. बराबर।
3.	1198	0.30	—	0-30 है.	बारानी तृतीय	हनुमान प्रसाद पुत्र शंकर लाल, रामचरण पुत्र बजरंग लाल, जाति कुम्हार, निवासी इटावा, नामा.नं. 0399,408 ।
4.	316	1.18	0-68	0-50 है.	बारानी प्रथम	धन्ना पुत्र देवा, जाति खटीक, निवासी इटावा
5.	1200	0.96	0-12	0-84	बारानी तृतीय	गंगाराम, बद्रीलाल, जगन्नाथ, लटूर पुत्र बाल्या, जाति गुर्जर, निवासी इटावा हि. बराबर ।
6.	1203	1.95	—	1-95 है.	बारानी तृतीय	बृजमोहन पुत्र कुंज बिहारी, जाति ब्राह्मण, नि. इटावा
7.	1204	0.25	—	0-25 है.	बारानी तृतीय	अखिल भारतीय प्रजापति (कुम्भकार) संघ शाखा, पीपल्दा नामा. नं0 409
8.(अ)	1206	1.31	—	1-295 है.	बारानी तृतीय	पुरुषोत्तम पुत्र कुंज बिहारी, जाति ब्रा0 निवासी इटावा ।
8.(ब)				0.015 है.		रघुराज सिंह पुत्र सुल्तान सिंह राजपूत । ना.सं. 1260
9.	1206 /1	0.02	—	0-02	बारानी तृतीय	सरस्वती देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण, जाति महाजन, नि0 जयपुर ।
10.	1206 /2	0.02	—	0-02	बारानी तृतीय	धन्नी बाई, पत्नी जयलाल, जाति मीणा, निवासी झाडोल ।
11.	1194	1.86	0-09	0-91	माल प्रथम	माखिर श्री नृसिंह जी महाराज विराजमान देह ।
12.	1196	0.13	—	0-13	बारानी तृतीय	मूलचन्द, धन्नालाल, जुगल किशोर, भवानीशंकर पुत्र बल्लभ, रुकमणी, राधाबाई, धापूबाई पुत्री बल्लभ जाति सुनार, निवासी इटावा ।
	कुल	10.12	1.23 है.	8-89 है.		

256

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु संबंधित आवासीय अभियंता से भूमि की डी0एल0सी0 की दरें मंगाने हेतु दिनांक 22.3.07, 10.10.07, 31.10.07, 7.2.08 तथा इसी क्रम में एक पत्र उप पंजीयक, पीपल्दा, कोटा को दिनांक 26.2.08 को व प्रति संबंधित उप आवासन आयुक्त, कोटा को प्रेषित की गयी। जिस पर दिनांक 14.3.08 को उप आवासन आयुक्त, कोटा द्वारा दरे प्राप्त कर इस न्यायालय को प्रेषित की गयी, परन्तु वे दरें अन्तिम न होकर प्रस्तावित दरे थी। अतः इस बाबत पुनः दिनांक 25.3.08 को उप आवासन आयुक्त, कोटा को अवाप्ताधीन भूमि की निर्धारित डी0एल0सी0 दरे भिजवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर दिनांक 31.3.08 को उप आवासन आयुक्त, कोटा द्वारा उप पंजीयक, पीपल्दा, कोटा से दरे प्राप्त कर इस न्यायालय को प्रेषित की गयी, पुनः दिनांक 23.04.08 को आवासीय अभियंता, खण्ड-कोटा द्वारा बीघा को हैक्टेयर में कनवर्ट कर पत्र प्रेषित किया साथ ही उप पंजीयक पीपल्दा ने अपने पत्रांक 241 दिनांक 13.03.08 से भी अवगत कराया कि इटावा ग्राम उक्त डी0एल0सी0 में अंकित नहीं है। इटावा को हमेशा प्रथम जोन में ही रहा है अतः इटावा की दर प्रथम जोन की ही मानी जावे। जिसके अनुसार वर्ष 2005-06 के लिए डी0एल0सी0 दरों का निम्नानुसार उल्लेख किया गया।

	सड़क नहर आबादी के पास			सड़क नहर आबादी से दूर		
	(नहरी) I व II	(माल) I व II	(बारानी) I, II, III	(नहरी) I व II	(माल) I व II	(बारानी) I, II, III
प्रतिबीघा	43000 / -	24000 / -	21000 / -	40,000 / -	19,000 / -	18,000 / -
प्रति है.	259366.00	148209 / -	129683.00	247015 / -	117332 / -	104981 / -

उक्त भूमि की मुआवजा दर उप पंजीयक, पीपल्दा द्वारा प्रेषित दरों, पर एवं खसरा प्लान के अनुसार जो खसरे सड़क के पास है तथा जो खसरे सड़क से दूर है के आधार पर दर प्रति हैक्टेयर निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है।

खातेदारों व हितधारियों की उक्त निर्धारित दर के अनुसार दिये जाने वाले मुआवजे का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. स.	खसरा नम्बर	वाद संख्या	भूमि का वर्गीकरण रकबा	सड़क हेतु सार्वजनिक निर्माण विवरण अवाप्त	शेष मण्डल हेतु अवाप्त रकबा	प्रति हैक्टेयर दर
1.	1191	7/6/01	1.45 माल प्रथम	0.27	1.18	148209.00
	1201		0.85 बारानी तृतीय	0.07	0.78	104981.00
2.	1205	7/6/02	0.70 बारानी तृतीय	—	0.70	129683.00
3.	1198	7/6/03	0.30 बारानी तृतीय	—	0.30	104981.00
4.	316	7/6/04	1.18 बारानी प्रथम	0.68	0.50	129683.00
5.	1200	7/6/05	0.96 बारानी तृतीय	0.12	0.84	104981.00
6.	1203	7/6/06	1.98 बारानी तृतीय	—	1.98	104981.00
7.	1204	7/6/07	0.25 बारानी तृतीय	—	0.25	104981.00
8.	1206	7/6/08	1.31 बारानी तृतीय	—	1.31	129683.00
9.	1206/1	7/6/09	0.02 बारानी तृतीय	—	0.02	129683.00
10.	1206/2	7/6/10	0.02 बारानी तृतीय	—	0.02	129683.00
11.	1194	7/6/11	1.00 माल प्रथम	0.09	0.91	117332.00
12.	1196	7/6/12	0.13 बारानी तृतीय	—	0.13	129683.00
योग			10.12	1.23 है.	8.89 है.	



निरन्तर.....4

प्रश्नगत भूमि में निर्धारित की गयी मुआवजे की दरों के अनुरूप मुआवजे की गणना निम्न प्रकार की गयी है।

95

वाद संख्या 7/6/01 खसरा नं. 1191 रकबा 1.18 हैक्टेयर, दर 1,48,209.00 प्रति है.	
खातेदार का नाम : गोबरिया पुत्र माधो जाति धाकड़, निवासी इटावा	
- कुल भूमि की कीमत	1,74,886.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	—
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	52,465.00
योग(अ)	2,27,351.00

वाद संख्या 7/6/01 खसरा नं. 1201 रकबा 0.78 है., दर 1,04,981.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : संतोष पारिता पत्नी श्री शिवलाल कलाल	
- कुल भूमि की कीमत	81,885.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	—
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	24,565.00
योग(ब)	1,06,450.00
कुल देय राशि अ+ब	3,33,801.00

वाद संख्या 7/6/02 खसरा नं. 1205 रकबा 0.70 है., दर 1,29,683.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : बजरंगा, शंकर, रामचन्द्र पुत्र ओंकार, जाति खटीक, निवासी इटावा, हि. बराबर।	
- भूमि की कीमत	90,778.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	—
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	27,233.00
कुल देय राशि	1,18,011.00

वाद संख्या 7/6/03 खसरा नं. 1198 रकबा 0.30 है., दर 1,04,981.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : हनुमान प्रसाद पुत्र शंकर लाल, रामचरण पुत्र बजरंग लाल, जाति कुम्हार, निवासी इटावा, नामा. नं. 0399,408 ।	
- भूमि की कीमत	31,494.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	—
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	9,448.00
कुल देय राशि	40,942.00

वाद संख्या 7/6/04 खसरा नं. 316 रकबा 0.50 है., दर 1,29,683.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : धन्ना पुत्र देवा, जाति खटीक, निवासी इटावा	
- कुल भूमि की कीमत	64,841.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	—
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	19,452.00
कुल देय राशि	84,293.00

वाद संख्या 7/6/05 खसरा नं. 1200 रकबा 0.84 है., दर 1,04,981.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : गंगाराम, बद्रीलाल, जगन्नाथ, लटूर पुत्र बाल्या, जाति गुर्जर, निवासी इटावा हि. बराबर ।	
- कुल भूमि की कीमत	88,184.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	—
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	26,455.00
कुल देय राशि	1,14,639.00

वाद संख्या 7/6/06 खसरा नं. 1203 रकबा 1.95 है., दर 1,04,981.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : बृजमोहन पुत्र कुंज बिहारी, जाति ब्राह्मण, नि. इटावा	
- कुल भूमि की कीमत	2,04,712.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	—
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	61,413.00
कुल देय राशि	2,66,125.00

①

निरन्तर.....5

वाद संख्या 7/6/07 खसरा नं. 1204 रकबा 0.25 है., दर 1,04981.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : अखिल भारतीय प्रजापति (कुम्भकार) संघ शाखा, पीपल्दा नामा. नं0 409	
- कुल भूमि की कीमत	26,245.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	-
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	7,873.00
कुल देय राशि	34,118.00

वाद संख्या 7/6/08 (अ) खसरा नं. 1206 रकबा 1.295 है., दर 1,29,683.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : पुरुषोत्तम पुत्र कुंज बिहारी, जाति ब्रा0 निवासी इटावा ।	
- कुल भूमि की कीमत	1,67,939.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	-
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	50,381.00
कुल देय राशि	2,18,320.00

वाद संख्या 7/6/08 (ब) खसरा नं. 1206 रकबा 0.015 है., दर 1,29,683.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : रघुराज सिंह पुत्र सुल्तान सिंह	
- कुल भूमि की कीमत	1945.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	-
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	583.00
कुल देय राशि	2,528.00

वाद संख्या 7/6/09 खसरा नं. 1206/1 रकबा 0.02 है., दर 1,29,683.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : सरस्वती देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण, जाति महाजन, नि0 जयपुर ।	
- कुल भूमि की कीमत	2,593.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	-
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	778.00
कुल देय राशि	3,371.00

वाद संख्या 7/6/10 खसरा नं. 1206/2 रकबा 0.02 है., दर 1,29,683.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : धन्नी बाई, पत्नी जयलाल, जाति मीणा, निवासी झाडोल ।	
- कुल भूमि की कीमत	2,593.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	-
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	778.00
कुल देय राशि	3,371.00

वाद संख्या 7/6/11 खसरा नं. 1194 रकबा 0.91 है., दर 1,17,332.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : मन्दिर श्री नृसिंह जी महाराज विराजमान देह ।	
- कुल भूमि की कीमत	1,06,772.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	-
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	32031.00
कुल देय राशि	1,38,803.00

वाद संख्या 7/6/12 खसरा नं. 1196 रकबा 0.13 है., दर 1,29,683.00 प्रति हैक्टेयर	
खातेदार का नाम : मूलचन्द, धन्नालाल, जुगल किशोर, भवानीशंकर पुत्र बल्लभ, रुकमणी, राधाबाई, धापूबाई पुत्री बल्लभ जाति सुनार, निवासी इटावा ।	
- कुल भूमि की कीमत	16,858.00
- तकमीना मण्डल के अनुसार	-
- अनिवार्य अवाप्ति 30 प्रतिशत	5057.00
कुल देय राशि	21,915.00

खातेदारों को उपर्युक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1-ए) के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अंतिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले हो, से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़ कर देय होगा। खातेदारों को अवाप्ताधीन भूमि में स्थित संरचनाओं का भुगतान धारा 4 की विज्ञप्ति को प्रचलित बी.एस.आर. की दर से मौके पर मण्डल अभियंता द्वारा बनाये गये तकमीना के अनुसार किया जावेगा। इसी प्रकार पेड़-पौधों के मुआवजे का भुगतान बड़े पेड़ के लिये 1500/- रु., मध्यम पेड़ के लिये 500/- रु., व छोटे पेड़ के लिये 100/- रु. प्रति पेड़ व कूचों के लिए 10/- रु. प्रति कूचां प्रस्तावित की गयी है। लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ आदि ले जाना चाहे तो उन्हें ये विकल्प दिया जा रहा है।

खातेदारों की वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरण की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र करने पर ही भुगतान यथोचित पहचान उपरान्त किया जावेगा। ऐसी अवाप्ताधीन भूमि बाबत जिसके सम्बन्ध में किसी न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही है, उसके सम्बन्ध में भू-अर्जन/अवार्ड करने की कार्यवाही इस आधार पर की जा रही है कि यह कार्यवाही सम्बन्धित सक्षम न्यायालय के अंतिम आदेशों के अध्याधीन रहेगी।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त भूमि का ड्राफ्ट ^{अवार्ड} दिनांक 3/7/08 को तैयार कर शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

(31/8/08)
विशेषाधिकारी

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.(25) न.वि.वि./3/04 जयपुर दिनांक 09.09.08 के ~~साथ~~ ^{क्रम} अवार्ड अनुमोदन किया जाता है, जिसके अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल हेतु अवाप्ताधीन भूमि ग्राम इटावा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा में कुल अवाप्ताधीन 10.12 हैक्टेयर में से सड़क हेतु सार्वजनिक नियोक्ता विभाग द्वारा अवाप्त की गई 1.23 हैक्टेयर को छोड़कर शेष मण्डल हेतु अवाप्त रकबा 8.89 हैक्टेयर भूमि का अवार्ड अनुमोदन किया जाता है। इस के अनुरूप ही अवार्ड सरे इजलास घोषित किया गया। खातेदारों/हितधारियों को धारा 12(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी होकर अवार्ड अधिनियम की धारा 12(1) के अन्तर्गत फाइल किया जायें।

विशेषाधिकारी

क्रमांक : ओ.एस.डी./न.वि.वि/08/ 680

दिनांक:- 23/9/08

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील पीपल्दा, इटावा जिला कोटा।
4. संबंधित खातेदार श्री
5. अवार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी